

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.  
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 237894



Handwritten signature and stamp in Hindi.

Handwritten signature and stamp in Hindi.

**विकल्प-पत्र**

**लेख पत्र का संक्षिप्त विकल्प**

- |    |                                   |                                      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार                    | : कृषि                               |
| 2. | परगना                             | : बिजाौर                             |
| 3. | श्रम                              | : बल्लभ                              |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण<br>(क्षमति नं.) | : भूमि खसरा संख्या- 1055, 1060, 1499 |
| 5. | मान्य श्री इमार्ह                 | : इलाहाबाद                           |
| 6. | मिलीन संपत्ति का<br>विवरण         | : 0.0985 हेक्टर                      |

Handwritten signature and stamp in Hindi.

Handwritten signature and stamp in Hindi.



- 1 -

7.	सड़क की स्थिति	:	दुर्गापुर रोड व अन्तर सड़क पर से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	समस्या का प्रकार	:	वृत्ति
9.	पैरी का मुखालफ	:	कुछ नहीं
10.	अधिगच्छा/अच्छ	:	कुछ भी नहीं
11.	प्रतिकूल की जानकारी	:	रु० 1,00,000/-
12.	मानिक्य	:	रु० 5,77,500/-
13.	व्याप	:	रु० 40,000/-


रि०  
कुपितादि

रि०  
वर्तिका

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH





पीछड़ी

संख्या नं- 1053

- पूर्व : संख्या संख्या-1045
- पश्चिम : संख्या संख्या-1060
- उत्तर : संख्या संख्या-1050
- दक्षिण : संख्या संख्या-1052

संख्या नं- 1060

- पूर्व : संख्या संख्या-1052, 1053
- पश्चिम : संख्या संख्या-1061
- उत्तर : संख्या संख्या-1059
- दक्षिण : संख्या संख्या-1051



खसरा नं०-1485  
प्लॉट : खसरा संख्या-1494  
परिचय : खसरा संख्या-1496  
ऊहाट : खसरा संख्या-1494  
दशिया : खसरा संख्या-1497

पथान पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

दियेला का विवरण	द्वेषा का विवरण
गुली लाल पुत्र निवासी, निवासी-बुखुंदा, मवरा-ग्राम बरोना, पल्याना-मिर्जापुर, राहसील व जिला लखनऊ।	वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम निवासी-90, पट्टे निधी, बंसीली, गुलबर्गगांव, राहसीली।

### विवाद विवेक

यह विवाद विवेक गुली लाल पुत्र निवासी-  
बुखुंदा, मवरा-ग्राम बरोना, पल्याना- मिर्जापुर, राहसील व जिला  
लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है,

एवं

वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम निवासी-90, पट्टे निधी,  
बंसीली, गुलबर्गगांव, राहसीली जिन्हें आगे खरीदा कहा गया है,  
के मध्य विवादित किया गया।


यह कि भिन्नता कृषि मूनि खसरा संख्या-1043 एका 0.0260  
हेक्टेअर, खसरा संख्या-1060 एका 0.0760 हेक्टेअर, व खसरा  
संख्या-1493 एका 0.0620 हेक्टेअर कुल एका 0.1540

17/2  
गुली लाल

17/2  
वीरेन्द्र कुमार

हेक्टरेज का 1/4 भाग यानी 0.0385 हेक्टरेज, स्थित ग्राम-करीना, पटवना खिजनीर, तहसील व जिला सतलुज का मालिक, कर्मिल व स्वामिन है जो विक्रय को बहालान प्राप्त हुए है तथा उपरोक्त सत्यापित पटवार्धिक खातीनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता खातीनी क्रम संख्या-00149 के अनुसार विक्रय के नाम अमल अदायत ही चुका है। अतः आराजी आज विक्रय के कबले व राज्य मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं दिव्य, शिवा, जगमाट, कुर्सी, व नमगत आदि से प्रसिद्ध नहीं है, अतः आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामिन एवं अधिकार नहीं है और न ही परतुं व्यक्ति सम्बन्धित है, अब अमल अदायत विक्रय के ठीक आराजी तथा उपरोक्त को पूर्ण स्वामिन एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के बूझ लोच व सम्भ्रमकट बिना किसी दखल के, मूल्य मुकदमा रु० 1,06,506/- (एक लाख आठ हजार बीस रु० मात्र) में सेला जमीन को बहाल करवाई बिना और कुल दिव्य धनराशि मूल तालीर वसूलकर तथा सेला उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके मजरा व दखल मालिकाना आराजी खसमुवा पर आज से बखूनी बन्द दिया। अब विक्रय व मालिकाना विक्रय के कोई हक व दखल निरुक्त आराजी खसमुवा व दिव्य धनराशि के सेला से बाकी नहीं रहा, अगर कोई राज्य सेवा कर्ता को यह बिलकुल नाज्वायज होवे, और अगर आराजी बखसुवा पूर्ण अमल अदायत कोई अंग सेला के स्वामिन एवं अधिकारों से निकल जाये

  
जुमलुग सि

  
जुमलुग सि

या प्रकृत न मिले या कड़ी विषय, रिया, अणुकार, कुशी व जमना आदि से प्रभित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रेता को अधिकतर होगा कि वह अपना कुछ मित्य पुरानी मय हर्ष-रुचा व नुवन्ताण के सब विज्ञता व वादिसान विज्ञता से व विज्ञता की अन्य सम्पत्ति वल व अचल से जलि न्यायालय नाल वल लये, इसी विज्ञता व वादिसान विज्ञता को कोई आयलि नहीं होगी।

अब प्रेता उपरोक्त की पूरा अधिकाद है कि यह विज्ञता आराजी के सम्बन्ध में जगल सलक्षरी अन्विलेखों में अपने नाम वादिसान-सादिज कल लये ।

आराजी उपरोक्त में खोती होती है, आराजी उपरोक्त में वेद, सुकुमेल, कुशा व इत्यादि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 गीलट विज्ञता में कोई निमांन आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लेख मगं नानस्थीय नानं व राष्ट्रीय अलमार्ग पर विज्ञता नहीं है।

आराजी स्थित राम रीना, पटना:- किसीर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य राम की अलमार्ग जाता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कुमि कुमि की नानाल नीमा 22.50 (200/-) रुपया प्रति हेक्टेअर की पर से निमांनित है, पूरि विज्ञित भूमि 5 विज्ञता से कम है इसलिए आवासीय इर 50 (500/-) प्रति नानिगलर की पर से विज्ञित रुपय 0.0225 हेक्टेअर

110  
  
 1/10/2018

  
 1/10/2018

यानि 385 वर्गमीटर की मालिकता रु० 5,77,500/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है, अतः नियन्त्रणार्थ मालिकता पर ही अनदेखे स्टाम्प शुल्क 40,500/- को अदा किया जा रहे है।

उपरोक्त आरक्षी मुख्य मार्ग राष्ट्रीय पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विशेषता व क्षेत्र दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आरक्षी किसी योजना व किसी संस्थाओं व अथ संस्थाओं संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

यह कि ऊपर ज्यों किने गये शर्तों "विशेषता" एवं "क्षेत्र" में, जब तक वे सही व प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधित्व व उत्तरदायित्वों भी सम्मिलित है।

#### विवरण मुद्राण

1. विशेषता की रु० 10,000/- (दस हजार अरसी हजार मात्र) द्वारा पेय संख्या-33605 दिनांकित 02.03.2010 प्लान नेशनल कैल, आरक्ष-इजाजत, लखनऊ में ही ले प्राप्त हुए।
2. विशेषता की रु० 20,500/- (दस हजार बीस हजार मात्र) की मात्र) नगद क्षेत्र ही प्राप्त हुए।

इस प्रकार विशेषता की कुल विक्रय मूल्य रु० 1,25,500/- (एक लाख 25 हजार मात्र) ही प्राप्त हुए।

  
3/7/2010

  
3/7/2010

विशाला यह दस्तावेज दिल्ली ने अपनी सुभी व राजमन्दी से रद्द राशि व सम्पन्नक बिना किसी प्रकार से, तथा लम्बेका के पक्ष में फिर दिया गलत करना रहे और यथा जरूरत पर काम आवे।

अतः आज काय पत्रों ने इस निकल्य विवेक पर अलग-अलग हस्ताक्षर करके इसे सिध्दादिता गिना।

नोट : पृष्ठ संख्या-... पर एक संख्या के लो लिखी गई है।

दिनांक:- 02.08.2010


लक्षनक

प्रवाहक:-

1. चक्रपथ 3/8  
 अध्यापक (सी)  
 (संलग्नक) (संलग्नक)

  
 दिल्ली

2. चक्रपथ 3/8 दिल्ली  
 अध्यापक (सी) (संलग्नक)

  
 दिल्ली


सहायक  
 (संलग्नक)

महाविद्यालयी  
 (संलग्नक)  
 एकाधिकार




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु  
 फिंगर प्रिंट्स


जिला का नाम व पता :- पूर्वी राहा पुत्र विद्यालय, सिधनी, सुपुल, मुरा-राज बरौना,  
 पटना - बिजनौर, मध्याह्निक विद्यालय।  
 बाईं हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-



जिला का नाम व पता :- बिजनौर पुत्र विद्यालय सिधनी-90, पूर्वी राहा, बिजनौर,  
 मध्याह्निक, राखरौनी  
 बाईं हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के प्रिंट :-



Notes

Organization: 445

Year: 1910

Location:

0121 1/2 view  
H. J. ...  
... ..  
...




गणना कार्यालय

संख्या सं० १०५३, १०६९, १०७५

प्रांत उत्तर प्रदेश

जिल्ला अलीगढ़

ब्लॉक अलीगढ़



अ. प्र. अ. प्र.

गणना



संख्या

१९४

संख्या : १९९९

दिनांक : २०१०


पृष्ठ संख्या : १

नाम : श्रीमान्

जन्म

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

पता




गणना नक़्शे

असल सं० १०३३, १०३०, १५९३

पान इलाक़ा

जिल्हा मुंबई

जमा वीरू कुमर



Handwritten signature and stamp on the bottom left.

जिल्हा

Handwritten signature and stamp on the bottom right.

जिल्हा

दिनांक 02/08/2010 ई

पृष्ठ सं 1 पृष्ठ सं 11845

पृष्ठ सं 402 पृष्ठ सं 1433

दिनांक 02/08/2010

सिद्धिदाता श्रीमान् श्रीमान्

श्रीमान्

श्रीमान्

श्रीमान्

श्रीमान्

श्रीमान्

